

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

ज्ञापन

क्रमांक 10616 /
II-14-21/2016

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

प्रति,

श्री अविनाश मुराब, सहायक ग्रेड-एक
उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ **बिलासपुर.**

पता- श्रीमती रूकमणी मुराब,
पति स्व. श्री शिव प्रसाद मुराब,
लिटिल फ्लावर स्कूल के पास,
लिंग रोड, टिकारी, गर्ग कम्पाउन्ड, **बैतूल (म.प्र.)**

विषय :- आपके विरुद्ध संस्थित की गई जांच में जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के अधिरोपण के संबंध में।

संदर्भ:- रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 7420/दो-14-20/2016 दिनांक 06.09.2016, कारण बताओ नोटिस क्रमांक 9652 दिनांक 15.11.2017 एवं आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 29.11.2017.

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.10.2017 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप केवल दण्ड अधिरोपित किया जाना शेष है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपना पक्ष यदि कोई हो, तो इस ज्ञापन की प्राप्ति के **10 दिवस** के भीतर अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

21/12/17
9/16
72/2017
(गौतम चौरड़िया)
रजिस्ट्रार जनरल-सह-
प्रशासनिक अधिकारी